S/8444/84
28-2-85

XXX-Patt.—24

रूप क्रमांक २
(देखिये नियम ७)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक 14680

यह प्रमाणित किया जाता है कि शारदा विहार जन कल्याण समिति भोपाल समिति जो राधा कुंज जहांगीराबाद तहसील हुजूर, जिला भोपाल में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४) के अधीन 22-2-1985 को पंजीयित की गई है।

दिनांक बाईस माह फरवरी सन् १९८५

मुद्रा

(गंगा प्रसाद श्रीवास्तव)
समितियों के रजिस्ट्रार

Principal
Saraswati Vidya Mandir
Hr. Sec. Res. School, Bhopal

प्रबंधक
सरस्वती विद्या मंदिर, शारदा विहार
केरवा बाँध मार्ग भोपाल (म.प्र.)

GRPRJ—VS/581—26-3-83—20,000.

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं भोपाल नर्मदापुरम संभाग
डी ब्लाक पुराना सचिवालय भोपाल

कमांक/संशोधन/ 1643/16 भोपाल दिनांक, 27-7-2016

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव
शारदा विहार जनकल्याण समिति भोपाल,
शारदा विहार परिसर केरवा बांध मार्ग भोपाल

विषयः– शारदा विहार जनकल्याण समिति भोपाल,शारदा विहार परिसर केरवा बांध मार्ग भोपाल पं0क0 14680 दिनांक 22.2.1985 के ज्ञापन विधान में संशोधन के संबंध में।

संदर्भः–आपका पत्र प्राप्त दिनांक 25.7.2016

–0–

उपरोक्त विषय में द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का अवलोकन करें। आपके चाहेनुसार संशोधन प्रस्ताव को आज दिनांक 27.7.2016 को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।

असि0रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाए
भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल

1658/16
BO 28-7-2016

(2)

प्रारूप क्रमांक–1
समितियों के पंजीयन हेतु संशोधित ज्ञापन पत्र
(देखिये नियम–3)

1. समिति का नाम – शारदा विहार जनकल्याण समिति,भोपाल होगा।
2. समिति का कार्यालय – *शारदा विहार परिसर,केरवां बांध मार्ग,भोपाल म.प्र.462044*
3. **समिति के उददेश्य निम्नलिखित होगें ।**

1. बहुउद्देशीय पंचमुखी शिक्षा हेतु आवासीय संस्था स्थापित करना।
2. समाज के उत्कर्ष हेतु आदर्श कृषि इकाईयों एवं उस पर आधारित एवं उससे संबंधित सभी कार्य करना तथा आदर्श आवासीय परिसर बनाना।
3. ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं जनजाति,पिछडे एवं अंत्यावसाई वर्ग के सामाजिक एंव आर्थिक विकास के लिये ग्रामीण विद्यालय, संस्कार केंद्र,ग्रामीण एवं कुटीर उधोग,ग्रामीण स्वास्थ्य इकाईयां,ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना।
4. गौवंश सरंक्षण(आवारा अशक्त सहित) संवर्धन,विकास आदि के हेतु गौशाला जैसी इकाईयॉं स्थापन करना एवं उनका संचालन करना तथा इसके अंतर्गत आदर्श गौशाला,गोबर गैस संयंत्र,पंचगव्य औषधि,जैविक खाद आदि का निर्माण एवं विपणन,शोधकार्य,अनुसंधान प्रशिक्षण आदि की स्थापना ,व्यवस्था एवं संचालन करना।
5. व्यायाम विद्या की प्रोन्नोति हेतु सभी प्रकार के खेलों का बहुमुखी विकास हेतु प्रतियोगितांए,स्पर्धाओं का आयोजन,उसके प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण हेतु सभी प्रकार की साधन सामग्री की व्यवस्था करना तथा ग्रामीण अंचलों के विधार्थियों के लिये क्रिंडागण का निर्माण आदि करना।
6. पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उद्यान,वानस्पातिक उद्यान,नर्सरी,वनोषधि,वृक्षारोपण,सामाजिक वानिकी आदि की स्थापना,विकास एवं संचालन करना।
7. उपरोक्त समस्त कार्यो में परामर्शदाता के रूप में कार्य करना। जिसकी समिति/संस्था को समय समय पर अवाश्यकता हो ।
8. उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक कार्य करना।
9. तकनीकी शिक्षा के पाठयक्रम संचालित करने हेतु आई.टी.आई.एवं पोलीटेक्निक महाविधालय की स्थापना करना व संचालित करना।
10. ध्यान एवं योग शिक्षा प्रशिक्षण तथा संचालन करना ।
11. ग्रामीण आजीविका हेतु कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण देना ।

सचिव
शारदा विहार जन कल्याण समिति
केरवा बांध मार्ग, भोपाल

उपाध्यक्ष
शारदा विहार जनकल्याण समिति
भोपाल

अध्यक्ष
शारदा विहार जनकल्याण समिति
केरवा बॉंध मार्ग,भोपाल (म.प्र.)

4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यो का प्रबंध शासक परिषद,संचालकों सभा या शासी निकाय को सौंपा गया है।जिनके नाम पते तथा धंधों का उल्लेख निम्नांकित है।

क्र.	निर्माणकर्ताओं के नाम	पद	धंधा	पता
1.	उत्तमचंद वल्द श्री सूरजमल इसराणी	अध्यक्ष	अधिवक्ता	20,सिंधी कालोनी,भोपाल
2.	भगवानदास आहूजा श्री सूरजमल आहूजा	उपाध्यक्ष	व्यवसाय	जहांगीराबाद,भोपाल
3.	सोमनाथ जोशी श्री रघुनाथ जोशी	सचिव	नौकरी	एफ–03,शास्त्री नगर,भोपाल
4.	कृष्णकांत भट्ट श्री लक्ष्मीनारायण भट्ट	कोषाध्यक्ष	नौकरी	111/47,शिवाजी नगर,भोपाल
5.	गोविंद भुस्कुटे श्री कृष्ण भुस्कुटे	सदस्य	कृषि	गढी,टिमरनी
6.	डॉ.शिवदयाल सक्सेना श्री रामभरोसे सक्सेना	सदस्य	कृषि	सिविल लाईन,रीवा
7.	रोशन लाल श्री दुर्गाप्रसाद सक्सेना	सदस्य	सामाजिक कार्यकर्ता	जहांगीराबाद,भोपाल
8.	मांधव बारलिंगे श्री लक्षण बारलिंगे	सदस्य	वास्तुविद	60,एल.आई.जी.हर्षवर्धन नगर,भोपाल
9.	पदमाकर मगदेव श्री नीलकंठ	सदस्य	नौकरी	10/66,शिवाजी नगर,भोपाल
10.	गणपतराव पराडकर श्री लक्ष्मणराव	सदस्य	नौकरी	टी.टी.नगर,भोपाल
11.	रमेश सक्सेना श्री श्यामलालजी	सदस्य	नौकरी	तुलसी नगर,भोपाल

रजिस्ट्रेशन के समय ज्ञापन पत्र में दर्शित यह सूची पदाधिकारियों की सूची वैधानिक नहीं है।

सचिव
शारदा विहार जन कल्याण समिति
केरवा बांध मार्ग, भोपाल

कोषाध्यक्ष
शारदा विहार जन कल्याण समिति
भोपाल

अध्यक्ष
शारदा विहार जनकल्याण समिति
केरवा बाँध मार्ग,भोपाल (म.प्र.)

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम 1973(सन्1973क्रंमाक44)की धारा0 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित है।

हम अनेक व्यक्ति,जिनके नाम और पते नीचे लिखे है समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नाकिंत साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कियें है।

क्र.	निर्माणकर्ताओं के नाम, पिता/पति सहित	पता	हस्ताक्षर
1.	उत्तमचंद वल्द श्री सूरजमल इसराणी	20,सिंधी कालोनी,भोपाल	हस्ताक्षर
2.	भगवानदास आहूजा श्री सूरजमल आहूजा	जहांगीराबाद,भोपाल	हस्ताक्षर
3.	सोमनाथ जोशी श्री रघुनाथ जोशी	एफ–03,शास्त्री नगर,भोपाल	हस्ताक्षर
4.	कृष्णकांत भट्ट श्री लक्ष्मीनारायण भट्ट	111/47,शिवाजी नगर,भोपाल	हस्ताक्षर
5.	गोविंद भुस्कुटे श्री कृष्ण भुस्कुटे	गढी,टिमरनी	हस्ताक्षर
6.	डॉ.शिवदयाल सक्सेना श्री रामभरोसे सक्सेना	सिविल लाईन,रीवा	हस्ताक्षर
7.	रोशन लाल श्री दुर्गाप्रसाद सक्सेना	जहांगीराबाद,भोपाल	हस्ताक्षर
8.	मांधव बारलिंगे श्री लक्षण बारलिंगे	60,एल.आई.जी.हर्षवर्धन नगर,भोपाल	हस्ताक्षर
9.	पदमाकर सगदेव श्री नीलकंठ	10/66,शिवाजी नगर,भोपाल	हस्ताक्षर
10.	गणपतराव पराडकर श्री लक्ष्मणराव	टी.टी.नगर,भोपाल	हस्ताक्षर
11.	रमेश सक्सेना श्री श्यामलालजी	तुलसी नगर,भोपाल	हस्ताक्षर

सचिव
शारदा विहार जन कल्याण समिति
केरवा बांध मार्ग, भोपाल

कोषाध्यक्ष
शारदा विहार जन कल्याण समिति
भोपाल

अध्यक्ष
शारदा विहार जनकल्याण समिति
केरवा बाँध मार्ग,भोपाल (म.प्र.)

T.C.

प्रमाणित प्रति 61086
शुल्क रूपये 160/- चालान नं./रसीद नं. ----
दिनांक 2-5-7/16 को प्राप्त किया गया है। यह मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है।
जारी होने की दिनांक ----

सहायक के हस्ताक्षर

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल
-7-2016

⑤

1658/16
28-7-2016

संशोधित नियमावली

1. समिति का नाम — शारदा विहार जनकल्याण समिति,भोपाल होगा।
2. समिति का कार्यालय — *शारदा विहार परिसर,केरवां बांध मार्ग,भोपाल म.प्र.462044*
3. संस्था का कार्यक्षेत्र — *सम्मपूर्ण भारत होगा ।*
4. समिति के उददेश्य निम्नलिखित होगें ।
    1. बहुउद्देशीय पंचमुखी शिक्षा हेतु आवासीय संस्था स्थापित करना।
    2. समाज के उत्कर्ष हेतु आदर्श कृषि इकाईयों एवं उस पर आधारित एवं उससे संबंधित सभी कार्य करना तथा आदर्श आवासीय परिसर बनाना।
    3. ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं जनजाति,पिछडे एवं अंत्यावसांई वर्ग के सामाजिक एंव आर्थिक विकास के लिये ग्रामीण विद्यालय, संस्कार केंद्र,ग्रामीण एवं कुटीर उधोग,ग्रामीण स्वास्थ्य इकाईयां,ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र आदि कीं स्थापना करना एवं संचालन करना।
    4. गौवंश सरंक्षण(आवारा अशक्त सहित) संवर्धन,विकास आदि के हेतु गौशाला जैसी इकाईयॉं स्थापन करना एवं उनका संचालन करना तथा इसके अंतर्गत आदर्श गौशाला,गोबर गैस संयंत्र,पंचगव्य औषधि,जैविक खाद आदि का निर्माण एवं विपणन,शोधकार्य,अनुसंधान प्रशिक्षण आदि की स्थापना ,व्यवस्था एवं संचालन करना।
    5. व्यायाम विद्या की प्रोन्नोति हेतु सभी प्रकार के खेलों का बहुमुखी विकास हेतु प्रतियोगितांए,स्पर्धाओं का आयोजन,उसके प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण हेतु सभी प्रकार की साधन सामग्री की व्यवस्था करना तथा ग्रामीण अंचलों के विधार्थियों के लिये क्रिंडागण का निर्माण आदि करना।
    6. पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उद्यान,वानस्पातिक उद्यान,नर्सरी,वनोषधि,वृक्षारोपण,सामाजिक वानिकी आदि की स्थापना,विकास एवं संचालन करना।
    7. उपरोक्त समस्त कार्यो में परामर्शदाता के रूप में कार्य करना। जिसकी समिति/संस्था को समय समय पर अवाश्यकता हो ।
    8. उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक कार्य करना।
    9. तकनीकी शिक्षा के पाठयक्रम संचालित करने हेतु आई.टी.आई.एवं पोलीटेक्निक महाविधालय की स्थापना करना व संचालित करना ।
    10. ध्यान एवं योग शिक्षा प्रशिक्षण तथा संचालन करना।
    11. ग्रामीण आजीविका हेतु कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण देना ।

सचिव
शारदा विहार जन कल्याण समिति
केरवा बांध मार्ग, भोपाल

कोषाध्यक्ष
शारदा विहार जन कल्याण समिति
भोपाल

अध्यक्ष
शारदा विहार जनकल्याण समिति
केरवा बाँध मार्ग,भोपाल (म.प्र.)

5 सदस्यता :–समिति में निम्नानुसार चार प्रकार के सदस्य होंगे।

1. संस्थापक सदस्य / स्थायी सदस्य
2. संरक्षक सदस्य
3. आजीवन सदस्य
4. पदेन सदस्य

1. **संस्थापक / स्थायी सदस्यः–** संस्था की स्थापना करने वाले 11 व्यक्ति संस्थापक सदस्य होंगे तथा ये स्थायी सदस्यं कहलायेंगे।इन सदस्यों में यदि कोई स्थान रिक्त होता है। तो उस स्थान की पूर्ति करने का अधिकार शेष संस्थापक / स्थायी सदस्यों को रहेगा।
2. **संरक्षक सदस्यः–** रूपये 1 लाख या उससे अधिक की राशि एक मुश्त देने या उतनी कीमत की वस्तु देने वाले दान दाताओं को कार्यकारिणी समिति बहुमत से संरक्षक बनाना स्वीकार करें संरक्षक सदस्य कहलायेंगे।
3. **आजीवन सदस्य–** समिति के उददेश्यों की पूर्ति में सहायता पहुचॉने वाले सदस्य आजीवन सदस्य कहलायेंगे।
4. **पदेन सदस्य :–** समिति के उददेश्यों की पूर्ति अन्यान्य सहयोगी संस्था द्वारा मनोनीत एक सदस्य जैसे–
   1. सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान,मध्यप्रदेश
   2. मध्यप्रदेश गौसेवा आयोग
   3. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
   4. भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड
   5. मध्यप्रदेश शासन
   6. अन्य सहयोगी संस्थाएं आदि द्वारा मनोनीत एक सदस्य

   पदेन सदस्य कहलायेंगे। इन पदेन सदस्यों को केवल अपने संबंधित विषयों के प्रस्तावों पर ही मत देने का अधिकार होगा।

5. **सदस्यों की योग्यता –**
   1. 18 वर्ष से आयु कम न हो।
   2. भारतीय नागरिक हो।
   3. समिति के नियमों के पालन करने की प्रतिज्ञा की हो।
   4. सद्चरित्र हों

6. **सदस्यता की समाप्ति –**
   1. मृत्यु हो जाने पर।
   2. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
   3. कार्यकारिणी समिति द्वारा सदस्यता निरस्त करने पर।

   सदस्यता निरस्तीकरण की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

8. **संस्था के कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जायेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दिये जायेगे।**
   1. प्रत्येक सदस्य का नाम पता व व्यवसाय।
   2. वह तारीख जिसमें सदस्यता प्रदान हुई हो।

9. **साधारण सभा–**

   नियम 5 में दर्शित सभी सदस्य साधारण सभा के सदस्य होंगे।

   अ. साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से होगी।

   ब. कार्यकारिणी समिति निश्चित 15 दिन के पूर्व प्रत्येक सदस्य को इसकी सूचना देगी।

   स. गणपूर्ति– साधारण सभा की बैठक का कोरम 1 / 5 सदस्य होगा।

10. **साधारण सभा की शक्तियॉ–**

    समिति की समस्त शक्तियॉ साधारण सभा में नियत होगी।जिनका प्रयोग वह अपने द्वारा गठित कार्यकारिणी / प्रबंधकारिणी के माध्यम से करेगी।

11 **साधारण सभा के कार्य एवं दायित्व(नियम12,13,14, एवं 15 अनुसार)निम्नवत–**

12. समिति के कार्य निर्धारित करना तथा नीतियॉ निर्धारित करना,कार्यकारिणी समिति का कार्य पूर्ण हो जाने के एक माह पूर्व उनका निवारण करना।

सचिव
शारदा विहार जन कल्याण समिति
केरवा बांध मार्ग, भोपाल

कोषाध्यक्ष
शारदा विहार जन कल्याण समिति
भोपाल

अध्यक्ष
शारदा विहार जनकल्याण समिति
केरवा बाँध मार्ग,भोपाल (म.प्र.)

13. वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य करना।
14. साधारण सभा की कुल सदस्य संख्या के 2/3 मांग पर बैठक का आयोजन करना।
15. गतवर्ष की आय व्यय एवं आगामी वर्ष के संभावित आय व्यय की स्वीकार
16. प्रबंधकारिणी समिति–
    1. साधारण सभा द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जायेगा। निर्वाचित अध्यक्ष निर्वाचन के तत्काल पश्चात् अपनी प्रबंधकारिणी समिति का गठन सदस्यों के मनोनयन से करेगा। जिसमें विभिन्न श्रेणियों के सदस्य निम्नानुसार रहेंगे।

       स्थायी सदस्यों मे से — 5

       संरक्षक एवं आजीवन सदस्यों में से — 4

       पदेन सदस्यों में से – संबंधित संस्थाओं के नियम एवं समिति की अवाश्यता के अनुसार –प्रबंधकारिणी में कम से कम एक पदेन सदस्य होना अवाश्यक है — 1

       अध्यक्ष सहित प्रबंधकारिणी समिति में कम से कम 11 सदस्य होंगें।
    2. प्रथम निर्वाचन पंजीयन के बाद तीन माह के अंदर होगा।
    3. प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। प्रबंधकारिणी समिति विचार विमर्श हेतु अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी। किंतु आमंत्रित विशेषेज्ञों को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। ये बैठक में अपने विचार प्रस्तुत कर सकेंगें। पदेन सदस्यों को केवल अपने संबंधित विषयों में ही मतदान करने का अधिकार होगा।
    4. प्रबंधकारिणी समिति में चालू कार्यकाल में यदि कोई स्थान रिक्त हुआ तो उस पर शेष अवधि के लिए अध्यक्ष द्वारा साधारण सभा के सदस्यों में से उसी श्रेणी के सदस्य को मनोनीत किया जा सकेगा।
17. प्रबंधकारिणी समिति के कार्य एवं दायित्व –
    1. साधारण सभा द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कार्य निष्पादित करना।
    2. समिति की समस्त चल एवं अचल संपत्ति पर नियंत्रण रखना।
    3. व्यवस्था एवं सहायता(सुविधा)की द्वष्टि से एक तथा अधिक उपसमितियां गठित करना।
    4. व्यवस्था संचालन की द्वष्टि से नियम एवं उपनियमों का निर्माण करना या साधारण सभा का अनुमोदन प्राप्त करना।
    5. आवश्यक कोष की व्यवस्था करना।
    6. अधीनस्थ संस्थाओं से प्राप्त चल एवं अचल संपत्ति का संरक्षण करना उसका आदान प्रदान,निरीक्षण एवं परीक्षण करना।
    7. सदस्यता शुल्क ,दान ,अनुदान तथा ऋण प्राप्त करना एवं अवाश्यकतानुसार चल एवं अचल संपत्ति पर ऋण प्राप्त करना ।
    8. वार्षिक कार्य विवरण,आय व्यय वृत्त एवं आगामी सत्र के अनुमानित आय व्यय को साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।
    9. संस्था के कार्य संचालन हेतु नियुक्तियॉ करना तथा कर्मचारियों की सेवा समाप्त करना।
    10. व्यय पर नियंत्रण रखना।
    11. ऐसे समस्त कार्य करना जो समिति के उददेश्य की पूर्ति में आवश्यक अथवा सहायक हो।
18. पदाधिकारी – कार्य संचालन की द्वष्टि से प्रबंधकारिणी के निम्नलिखित पदाधिकारी होगें जिनका मनोनयन अध्यक्ष करेगा ।

1.	उपाध्यक्ष	1
2.	कोषाध्यक्ष	1
3.	सचिव	1
4.	सहसचिव	1
5.	कार्यकारिणी के सदस्य	6
	अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य	

सचिव
शारदा विहार जन कल्याण समिति
केरवा बांध मार्ग, भोपाल

कोषाध्यक्ष
शारदा विहार जन कल्याण समिति
भोपाल

अध्यक्ष
शारदा विहार जनकल्याण समिति
केरवा बाँध मार्ग,भोपाल (म.प्र.)

19. पदाधिकारियों के दायित्व एवं कार्य

1. अध्यक्ष

क. कार्यकारिणी समिति एवं साधारण सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना।

ख. समान मत होने की स्थिति में निजी मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देना।

ग. संस्था की व्यवस्था एवं प्रबंध का दायित्व वहन करनां

घ. व सदस्यों द्वारा मांग की जाने पर या आवश्यक पडने पर या अपनी इच्छानुसार बैठक बुलाना।

ड. साधारण सभा द्वारा स्वीकृत बजट की सीमाओं में रू 5000/–(रू.पांच हजार)से अधिक के सभी प्रकार के व्ययों की स्वीकृति देना।

2. उपाध्यक्ष

क. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रंबधकारिणी/कार्यकारिणी समिति अथवा साधारण सभा की अध्यक्षता करना।

ख. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त उत्तरदायित्वों का वहन करना।

3. कोषाध्यक्ष

क. समिति को प्राप्त समस्त राशि ग्रहण करना तथा आय व्यय का पूर्ण हिसाब रखनां

ख. समितिक व्ययों के भुगतान हेतु अधिक से अधिक रू. 25,000/–(रू.पच्चीस हजार)की राशि अपने पास रखना।

4. सचिव

1. कार्य कारिणी समिति की ओर से दैनिक कार्यो में संचालन की द्रष्टि से पूर्ण उत्तरदायित्व वहन करना।
2. आवश्यक होने पर अध्यक्ष के परामर्श से अस्थायी नियुक्तियॉ करना । इन नियुक्तियों की स्वीकृति नियुक्ति दिनांक से 2 माह के अंदर प्रंबधकारिणी समिति से लेना आवश्यक होगा।
3. स्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को पदोन्नति के संबंध में अनुशंसा करना।
4. यदि किसी की पदच्युति करना हो तो उसके संबंध में अपना लिखित अभिमत प्रस्तुत करना।
5. समिति की ओर से पत्राचार तथा न्यायालय संबंधी कार्यवाही करना ।
6. सभी प्रकार के आकस्मिक व्यय के लिये रू 5000/–(पांच हजार रूपये) अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित धनराशि की सीमा तक की स्वीकृति प्रदान करना।
7. आय व्यय लेखा तैयार करवाना एवं अंकक्षेक द्वारा अंकेक्षक करवाकर अंकेक्षण प्रतिवेदन सहित प्रंबंधकारिणी समिति एवं साधारण सभा के समक्ष स्वीकृति हेतु रखना ।
8. निर्धारित अवधि में साधारण सभा एवं प्रंबधकारिणी समिति की बैठकों का आयोजन करना।
9. प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का लेखा रखना ।
10. समिति के समस्त कर्मचारियों के अवकाश एवं प्रवास की स्वीकृति प्रदान करना।
11. ऐसे समस्त कार्य करना जो समिति के उददेश्यों में सहायक हो ।

5. सहसचिव

1. सचिव को प्रंबध में सहायता करना ।
2. सचिव की अनुपस्थिति में व्यवस्थापन के समस्त दायित्वों का वहन करना।

20. बैठकें–साधारण सभा की वर्ष में कम से कम 1 बैठक अवश्य होगी ।

1. प्रंबधकारिणी/कार्यकारिणी समिति की बैठक 1वर्ष में कम से कम दो बार होगी।
2. कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों के अनुरोध पर साधारण सभा की विशेष बैठक का आयोजन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।
3. आवश्यकता पडने पर पंजीयक ,फर्म एवं सस्थाएं म.प्र. अपनी इच्छानुसार साधारण सभा या प्रंबधकारिणी समिति की बैठक बुला सकेंगें।
4. साधारण सभा की बैठक की सूचना सदस्यों को बैठक के दिनांक से कम से कम 10 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।
5. प्रंबधकारिणी /कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।
6. आवश्यकता पडने पर 10 दिन पूर्व सूचना पर प्रंबधकारिणी /कार्यकारिणी समिति की असाधारण बैठक बुलाई जा सकेंगी।

सचिव
शारदा विहार जन कल्याण समिति
केरवा बांध मार्ग, भोपाल

कोषाध्यक्ष
शारदा विहार जन कल्याण समिति
भोपाल

अध्यक्ष
शारदा विहार जनकल्याण समिति
केरवा बाँध मार्ग,भोपाल (म.प्र.)

21. गणपूर्ति –

1. साधारण सभा की गणपूरक संख्या के 1/5भाग होगी। गणपूर्ति के अभाव में आधा घंटा बैठक स्थगित कर उसी स्थान पर एवं उसी सख्या पर साधारण सभा की बैठक संपन्न होगी। जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नहीं होगी ।
2. प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी समिति की गणपूर्ति संख्या 4 होगी किंतु सचिव या सहसचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

22. आय के स्त्रोत –

1. समिति के सदस्यों से प्राप्त नगद या वस्तु के रूप में दान एवं शुल्क के रूप में ।
2. समिति द्वारा संचालित संस्थाओं से प्राप्त वह शुल्क जो समय समय पर निर्धारित किया जावे।
3. समिति के उददेश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न व्यक्तियों संस्थाओं से तथा शासन से नगद या वस्तु रूप में प्राप्त दान या अनुदान एवं ऋण आदि ।
4. समिति द्वारा संचालित कृषि तथा अन्य कुटीर उद्योगों से प्राप्त लांभाश द्वारा
5. समिति की चल एवं अचल संपत्ति पर अवाश्यकतानुसार प्राप्त ऋण एवं उनके विक्रय से प्राप्त राशि ।
6. समिति द्वारा संचालित उपक्रमों के उत्पादों के विक्रय से प्राप्त राशि ।

23. बैंक खाता –

संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीकृत बैंक,सहकारी ,नागरिक ,सार्वजानिक क्षेत्र की बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष,मंत्री तथा कोषाध्यक्ष में से किसी दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। लेकिन व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम राशि रू.25,000/–(रू.पच्चीस हजार)तक रहेगी।

24. पंजीयक को भेजी जानेवाली जानकारी –

अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर प्रंबधकारिणी /कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अतंर्गत संस्था का परीक्षित लेखा भेजेगी ।

25. संशोधन –

संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3मतों से परित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाओं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

26. विघटन–

संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उददेश्यों वाली संस्था को सौंप दी जायेगी तथा उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

27. संपत्ति –

संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाए को लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेंगी ।

28. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना –

संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाए को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

29. विवाद–

संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद को निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।संचालित सभाओं के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

प्रमाणित प्रति 69 शुल्क रूपये 16/- चालान नं./रसीद ... दिनांक 25-7-16 दस्तावेजों की प्रमाणित ... जारी होने का दिनांक T.C.

अतिसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल
26/7/16

सचिव
शारदा विहार जन कल्याण समिति
केरवा बांध मार्ग, भोपाल

कोषाध्यक्ष
शारदा विहार जन कल्याण समिति
भोपाल

अध्यक्ष
शारदा विहार जनकल्याण समिति
केरवा बाँध मार्ग,भोपाल (म.प्र.)